(५)

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : मुक्तानन्द अग्रवाल, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या – 24/2018 (Bank Case)

दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि0 (DHFL) एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय– वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर पी.एम. रोड, फार्ट मुम्बई–400001 तथा शाखा कार्यालय– 302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर (राज0) जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश यादव ।

– प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

1. श्री मानसिंह चौधरी निवासी मकान नं0 52, गोपाल विहार पुलिस लाईन, बारां रोड कोटा (राज0)
   एवं
   कार्यालय पता – सदर थाना, मालपुरा, टोंक(राज0)
   एवं
   मकान नं0 52, गोपाल विहार प्रथम, रामपुरा कोटा राज0
   –– (ऋणी)
2. श्रीमती बीना चौधरी पत्नी श्री मानसिंह चौधरी, निवासी मकान नं0 52, गोपाल विहार पुलिस लाईन, बारां रोड कोटा (राज0)
   एवं
   मकान नं0 52, गोपाल विहार प्रथम, रामपुरा कोटा राज0
3. श्री रघुवेन्द्र सिंह निवासी मकान नं0 52, गोपाल विहार पुलिस लाईन, बारां रोड कोटा (राज0)
   एवं
   मकान नं0 52, गोपाल विहार प्रथम, रामपुरा कोटा राज0
   एवं
   मण्डावरा, सुल्तानपुर जिला कोटा ––(सहऋणी)

– अप्रार्थीगण

जिला मजिस्ट्रेट कोटा (राज0)

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्यूरीटीजेशन रिक्सट्रक्शन आफ फाईनेंशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री कुलदीप सिंह जादौन, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक: 14.05.2019

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दीवान हाउसिंग फाईनेंस कॉर्पोरेशन लि0 एक पंजीकृत कम्पनी (पंजीकृत अन्तर्गत कम्पनीज एक्ट, 1956) पंजीकृत कार्यालय– वार्डन हाउस, द्वितीय तल, सर पी.एम. रोड, फार्ट मुम्बई–400001 तथा शाखा कार्यालय–302/5, तृतीय तल, जयपुर टावर, एम.आई. रोड, जयपुर (राज0) जर्ये प्राधिकृत अधिकारी श्री मुकेश यादव है।

जिला कलेक्टर कोटा

अप्रार्थीगण ने प्रार्थी वित्तीय संस्था से जर्ये ऋण करार संख्या 00000962 दिनांक 17.06.2013 को 25,49,538/– (अक्षरेः रूपये पच्चीस लाख उन्चास हजार पांच सौ अडतीस मात्र) का ऋण लिया था तथा अप्रार्थी नं0 2 ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे **अचल सम्पत्ति कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भू–आवंटन पत्र कमांक/7151 दिनांक 20.02.2010 से जारी (पट्टा) आबादी भूमि पर एक रिहायशी प्लॉट, सं0 52 गोपाल विहार प्रथम (रामपुरा), कोटा में स्थित है । जो कि श्रीमती बीना चौधरी पत्नी श्री मानसिंह चौधरी के नाम से है ।** कूल क्षैत्रफल 190 वर्ग

Scanned by CamScanner

(5)

गज है, को प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण के खाते को दिनांक 01.01.2018 को एन.पी.ए. कर दिया गया । अप्रार्थी द्वारा उसके खाते मे 21,05,326/- रूपये (अक्षरे रूपये इक्कीस लाख पांच हजार तीन सौ छब्बीस रूपये मात्र) बकाया रकम दिनांक 14.03.2018 तक शेष देय है व आगे की बकाया राशि मय ब्याज व खर्चे पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । **प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 26.03.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, एवं उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र प्रातःकाल में दिनांक 06.5.2018 व अंग्रेजी समाचार पत्र दी इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 6.5.2018 को प्रकाशन भी कराया** गया इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी वित्तीय संस्था को नही संभलाया है । प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते मे देय राशि के पुर्नभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते मे देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान नहीं किया जाने से प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को **प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 26.03.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, एवं उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र प्रातःकाल में दिनांक 06.5.2018 व अंग्रेजी समाचार पत्र दी इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 6.5.2018 को प्रकाशन भी कराया गया** इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने मे चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को **प्रार्थी वित्तीय संस्था ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक 26.03.2018 को रजिस्टर्ड डाक नोटिस भी प्रेषित किये गये, एवं उक्त नोटिस का हिन्दी समाचार पत्र प्रातःकाल में दिनांक 06.5.2018 व अंग्रेजी समाचार पत्र दी इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 6.5.2018प्रकाशन भी कराया गया** इसके पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है **बंधक अचल सम्पत्ति कार्यालय नगर विकास न्यास कोटा द्वारा भू-आवंटन पत्र कमांक/7151 दिनांक 20.02.2010 से जारी (पट्टा) आबादी भूमि पर एक रिहायशी प्लॉट, सं0 52 गोपाल विहार प्रथम(रामपुरा), कोटा में स्थित है । जो कि श्रीमती बीना चौधरी पत्नी श्री मानसिंह चौधरी के नाम से है । कुल क्षैत्रफल 190 वर्ग गज है,** का भौतिक कब्जा प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों मे देय है तो संबंधित वित्तीय संस्था द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्था, पुलिस अधीक्षक (शहर) कोटा को हस्ब कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति मे यह आदेश कियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 14.05.2019 को सुनाया गया ।

(मुक्तानन्द अग्रवाल)
जिला मजिस्ट्रेट
कोटा

Scanned by CamScanner